

27/10/20

वकील वादी उपो। वकील वादी को प्रतिवादी की तर्कबी हेतु रफिउडक ए.डी तर्कवाग पेडा कने हेतु डि 11/2/20 के आदेशित किया गया। लेकिन वकील वादी ने तर्कबी हेतु तर्कवाग पेडा नहीं किये। फिर भी वकील वादी को दिनांक 20/10/20 को रफिउडक ए.डी. तर्कवाग पेडा कने हेतु न्यायादित में एक ओर अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने रफिउडक ए.डी तर्कवाग पेडा नहीं किये। अतः वाद वादी अन्तर्गत 09 ROS CPC के तहत अदम तकमीक (NON-compliance) में रवाफि किया जाता है। पञ्चावली नाम से कम होकर बाद तकमीक दालिग दफ्तर हो। सुनाया।

सहायक कलक्टर  
अलावर

